कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0, रा0रा0 मार्ग, खण्ड–प्रथम जयपुर

क्रमांक :– 4559 दिनांक :– 29.2.16

ए.सी.पी.
कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय :– नीलामी सूचना संख्या 1/2015–16 को अपलोड करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4417–29 दिनांक 16.02.2016 के द्वारा दौसा–लालसोट–कौथून सडक रा.रा.मार्ग संख्या 11–ए विस्तार पर से काटे गये पेडों की जलाऊ एवं ईमारती लकडी की नीलामी के लिए नीलामी सूचना संख्या 1/2015–16 निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जा चुकी है। संयुक्त सचिव वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17 (2) की पालना में http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर प्रकाशित कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस कार्यालय द्वारा जारी नीलामी सूचना संख्या 1/2015–16 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि इस नीलामी सूचना को http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– नीलामी सूचना संख्या 1/2015–16 की प्रति

भवदीय,

(सत्येन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा0नि0वि0 रा0रा0मार्ग,
खण्ड–प्रथम जयपुर

क्रमांकः– **दिनांकः–**

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सत्येन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा0नि0वि0 रा0रा0मार्ग,
खण्ड–प्रथम जयपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 रा0रा0मार्ग खण्ड प्रथम, जयपुर

क्रमांकः– 4517 दिनांकः 16-2-16

श्रीमान् निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय
राजस्थान जयपुर।

विषयः– नीलामी सूचना संख्या 1/2015–16 का प्रकाशन करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस पत्र के साथ नीलामी सूचना संख्या 1/2015–16 की 8 प्रतियां संलग्न कर भिजवाकर निवेदन है कि इसका प्रकाशन नियमानुसार दैनिक समाचार पत्रों में केवल एक बार में करवाने का श्रम करें।

प्रकाशन के बिलों की तीन प्रतियां भुगतान हेतु अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड–प्रथम जयपुर के नाम भिजवाने का श्रम करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 8 प्रति एवं सी.डी

(सत्येन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा0नि0वि0 रा0रा0मार्ग,
खण्ड– प्रथम, जयपुर

1785
17-2-2016

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय
विज्ञापन शाखा
विज्ञापन सं 1785
दिनांक 17-2-16
राजस्थान, जयपुर

समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 रा0रा0मार्ग खण्ड प्रथम, जयपुर

क्रमांकः–   दिनांकः

नीलामी सूचना संख्या 1/2015–16

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड–प्रथम, जयपुर के अधीन दौसा–लालसोट–कौथून सडक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11–ए विस्तार पर से काटे गये पेडों की जलाऊ एवं ईमारती लकडी की नीलामी दिनांक 16.03.2016 को दोपहर 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक की जावेगी। आवश्यकता पड़ने पर अथवा नीलामी तिथि को किसी कारणवश अवकाश होने की दशा में नीलामी अगले कार्य दिवस को भी हो सकेगी। नीलामी संबधित पूर्ण अधिकार नीलामी समिति में निहित है। समिति का निर्णय सर्वमान्य व अन्तिम होगा। इच्छुक व्यक्ति धरोहर राशि रू. 11,440/– (अक्षरे रूपये ग्यारह हजार चार सौ चालीस मात्र) जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी की शर्ते नियम किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में देखी जा सकती है। नीलामी का विवरण निम्नांकित हैः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	नीलामी राशि	धरोहर राशि	नीलामी की दिनांक	नीलामी स्थल
1	2	3	4	5	6
1.	दौसा–लालसोट–कौथून सडक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11–ए विस्तार पर से काटे गये पेडों की जलाऊ एवं ईमारती लकडी की नीलामी का कार्य।	5.72 लाख	11,440/–	16.03.2016	दौसा–लालसोट–कौथून सडक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11–ए विस्तार के कि.मी. 36 (डीडवाना इण्ड्रस्टीयल एरिया) पर

(सत्येन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा0नि0वि0 रा0रा0मार्ग,
खण्ड– प्रथम, जयपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 रा0रा0मार्ग खण्ड प्रथम, जयपुर

क्रमांकः–   दिनांकः

नीलामी सूचना संख्या 1/2015–16

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड–प्रथम, जयपुर के अधीन दौसा–लालसोट–कौथून सडक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11–ए विस्तार पर से काटे गये पेडों की जलाऊ एवं ईमारती लकडी की नीलामी दिनांक 16.03.2016 को दोपहर 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक की जावेगी। आवश्यकता पड़ने पर अथवा नीलामी तिथि को किसी कारणवश अवकाश होने की दशा में नीलामी अगले कार्य दिवस को भी हो सकेगी। नीलामी संबधित पूर्ण अधिकार नीलामी समिति में निहित है। समिति का निर्णय सर्वमान्य व अन्तिम होगा। इच्छुक व्यक्ति धरोहर राशि रू. 11,440/– (अक्षरे रूपये ग्यारह हजार चार सौ चालीस मात्र) जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी की शर्ते नियम किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में देखी जा सकती है। नीलामी का विवरण निम्नांकित हैः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	नीलामी राशि	धरोहर राशि	नीलामी की दिनांक	नीलामी स्थल
1	2	3	4	5	6
1.	दौसा–लालसोट–कौथून सडक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11–ए विस्तार पर से काटे गये पेडों की जलाऊ एवं ईमारती लकडी की नीलामी का कार्य।	5.72 लाख	11,440/–	16.03.2016	दौसा–लालसोट–कौथून सडक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11–ए विस्तार के कि.मी. 36 (डीडवाना इण्ड्रस्टीयल एरिया) पर

नियम व शर्तेः–

1. इच्छुक खरीददार उपरोक्त वर्णित लकडी का निरीक्षण दौसा–लालसोट–कौथून सडक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11–ए विस्तार के कि.मी. 36 (डीडवाना इण्ड्रस्टीयल एरिया) पर नीलामी दिनांक से तीन दिवस पूर्व कर सकते है। दिनांक 16.03.16 को दोपहर 12 बजे तक बोली में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि रूपये 11,440/– नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि.रा.रा.मार्ग खण्ड–प्रथम, जयपुर के नाम देय होगा।

2. खरीद नही करने वाले की धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् उसी दिन बोली स्वीकृति दिनांक 16.03.16 से 7 दिवस तक लौटाई जावेगी। नीलामी बोली छूटने पर बोली की राशि का एक चौथाई भाग उसी समय नकद जमा कराना होगा शेष 75 प्रतिशत राशि 48 घण्टे में जमा करानी होगी। उक्त अवधि में शेष राशि जमा नही कराने पर जमा राशि 25 प्रतिशत राशि जब्त मानी जावेगी और उसमें कोई विवाद मान्य नही होगा।

3. खरीददार पूर्ण राशि निर्धारित दिनांक तक जमा कराकर ही लकडी प्राप्त कर सकेगें। नीलामी मात्रा में कमी/अधिक करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा। नियम व शर्तो को किसी भी कार्यालय दिवस में देखा जा सकता है।

4. नीलामी के पश्चात् खरीददार द्वारा नियमानुसार अलग से बिक्री कर राशि संबंधित बिक्री कर कार्यालय में जमा कराने एवं प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर लकडी नीलामी स्थल से अपने स्वयं के खर्चे पर लकडी को तुरन्त उठाना आवश्यक होगा अन्यथा लकडी नीलामी स्थल पर पड़ी रहने पर प्रतिदिन 1000/– (एक हजार रूपये) डेमरेज चार्ज अतिरिक्त देना होगा। उसके पश्चात् भी लकडी नही उठाने पर नीलामी स्वतः ही रद्द समझी जावेगी एवं समस्त जमा राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

5. नीलामी की जाने वाली लकडी जहां है और जैसी है के आधार पर नीलामी की जावेगी एवं सफल बोलीदाता सम्पूर्ण राशि जमा कराने पर ही लकडी को उठाना होगा।

6. नीलामी बोली में लकडी का उचित मूल्य नही मिलने पर नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।

7. नीलामी स्वीकृति करने एवं न करने का समस्त अधिकार समिति के पास सुरक्षित है जिसे चुनौती नही दी जा सकती है।

8. समस्त प्रकार के विवाद का क्षेत्र न्यायालय दौसा होगा।

(सत्येन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा०नि०वि० रा०रा०मार्ग,
खण्ड– प्रथम, जयपुर

क्रमांकः– 4417–29 दिनांकः– 16-2-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला कलेक्टर, दौसा ।
2. श्रीमान मुख्य अभियंता (एन.एच.) सा०नि०वि०राजस्थान, जयपुर ।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोन–द्वितीय, जयपुर
4. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत रा०रा०मार्ग वृत–जयपुर को आपके पत्रांक 2536 दिनांक 11.02.2016 के क्रम में।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, दौसा/लालसोट
6. तहसीलदार, तहसील–लालसोट, जिला–दौसा।
7. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, दौसा।
8. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, लालसोट, जिला–दौसा।
9. अध्यक्ष, नगरपालिका, लालसोट, जिला–दौसा।
10. थानाधिकारी, पुलिस थाना–लालसोट, जिला–दौसा।
11. सहायक अभियन्ता, सा०नि०वि०रा०रा०मार्ग उपखण्ड–दौसा/लालसोट।
12. तकनीकी सहायक/वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी/केशियर/ आडिटर–नीलामी/निविदा/ सूचना पट्ट।

(सत्येन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा०नि०वि० रा०रा०मार्ग,
खण्ड– प्रथम, जयपुर

राजस्थान सरकार

वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग

जयपुर,दिनांक 1/6/15

क्रमांकः–एफ 4(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013

अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
रा.रा. मार्ग खण्ड-प्रथम
जयपुर)

विषयः– राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर बोली आंमत्रित करने वाले नोटिस एवं अन्य सूचनाओं के अपलोड किए जाने का अभाव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समाचार–पत्र Dainik Bhaskar में दिनांक 30/5/15 को प्रकाशित बोली/निविदा आमंत्रण सूचना/नोटिस से ज्ञात हुआ है कि आप द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल (Rajasthan State Public Procurement Portal) पर बोली/निविदा आमंत्रण नोटिस एवं उपापन से सम्बन्धित अपेक्षित सूचनाएँ अपलोड कर प्रकाशित नहीं की है। जबकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17 (2) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 4 के तहत प्रत्येक उपापन संस्था को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपेक्षित सूचना अपलोड कर प्रकाशित करना अनिवार्य है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि उक्त बिड/निविदा/नोटिस के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17 (2) की पालना सुनिश्चित कर उपापन सम्बन्धित समस्त अपेक्षित सूचनाएँ (http://sppp.rajasthan.gov.in) पर अपलोड कर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करावें।

(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सा. नि. वि. रा. रा. मार्ग
खण्ड-प्रथम-जयपुर
प्राप्ति क्रमांक 708 दिनांक 26-6-15

का.सहा. व.लेखा. अ.अ.